रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-01102024-257616 CG-DL-E-01102024-257616

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 273] No. 273] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 30, 2024/अश्विन 8, 1946 NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 30, 2024/ ASVINA 8, 1946

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग) (व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना नई दिल्ली ,30 सितंबर, 2024

<u>मामला सं. एडी (ओआई) - 37/2024</u>

विषय: चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "कोपॉलिमर पॉलीओल ऑफ हाइड्रोक्सिल वेल्यू >= 23.5" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत।

**फा. सं. 6/40/2024-डीजीटीआर**—मै. एक्पेंडिड पॉलीमर सिस्टम्स प्रा.लि.(जिसे आगे 'आवेदक'' कहा गया है) द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे 'अधिनियम'' कहा गया है) और समय समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली,1995 (जिसे आगे 'नियमावली'' भी कहा गया है) के

6332 GI/2024 (1)

अनुसरण में घरेलू उद्योग की ओर से निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे ''प्राधिकारी'' भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया गया है जिसमें चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित ''कोपॉलिमर पॉलीओल ऑफ हाइड्रोक्सिल वेल्यू >= 23.5' (जिसे आगे ''संबद्ध वस्तु'' अथवा ''विचाराधीन उत्पाद'' या ''पीयूसी'' कहा गया है) के पाटन का आरोप लगाते हुए पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने का अनुरोध किया गया है।

### क. विचाराधीन उत्पाद

- 2. विचाराधीन उत्पाद निर्यातित 'कोपॉलिमर पॉलीओल ऑफ हाइड्रोक्सिल वेल्यू >= 23.5' है। पीयूसी को बाजार की भाषा में पॉलीमर पॉलीओल के रूप में भी जाना जाता है।
- 3. पीयूसी का प्रयोग मुख्य रूप से फ्लेक्सिबल फोम के विनिर्माण के लिए किया जाता है; जो मुख्य रूप से गद्दों के विनिर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। यह एक पॉलीमर पॉलीओल है जो स्लैब पॉलीयुरेथिन फोम के विनिर्माण की प्रक्रिया में जोड़े जाने पर स्लैब फोम की सख्ती में सुधार करता है। संबद्ध वस्तु को एच एस कोड 39072910 और 39072990 के तहत अध्याय शीर्ष 39 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और किसी भी तरह से उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।
- 4. वर्तमान जांच में शामिल पक्षकार इस जांच की शुरूआत के 15 दिनों के भीतर पी यू सी और प्रस्तावित पी सी एन के कार्यक्षेत्र पर अपनी टिप्पणियां, यदि कोई हों, उपलब्ध करा सकते हैं।

# ख. <u>समान वस्तु</u>

5. आवेदक ने दावा किया है कि आवेदक द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से निर्यातित वस्तुओं में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। आवेदक द्वारा उत्पादित और चीन से आयातित वस्तुएं भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और प्रयोगों, उत्पाद विशेषताओं, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा संबद्ध वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। संबद्ध वस्तुएं और आवेदक द्वारा विनिर्मित वस्तु तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। आवेदक ने दावा किया है कि पीयूसी के उपभोक्ता संबद्ध वस्तुओं और आवेदक द्वारा विनिर्मित वस्तु का एक-दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर रहे हैं। अत:, वर्तमान जांच की शुरूआत के प्रयोजन हेतु, जांच दल ने यह निर्णय करने का प्रस्ताव किया है कि आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु चीन जन.गण. से आयात किए जा रहे उत्पाद के समान वस्तु है।

# ग. घरेलू उद्योग और स्थिति

6. नियम 2(ख) घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित करता है :-

"घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में ''घरेलू उद्योग'' पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।

- 7. आवेदन मै. एक्सपेंडिड पॉलीमर सिस्टम्स प्रा. लिमि. द्वारा दायर किया गया है । आवेदक भारत में संबद्ध वस्तुओं का एकमात्र उत्पादक है । आवेदक भारतीय उत्पादन के 100 प्रतिशत के लिए जिम्मेदार है ।
- 8. आवेदक ने क्षित की अवधि के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, आवेदक पी ओ आई के दौरान संबद्ध वस्तुओं के किसी आयातक या निर्यातक से संबंधित नहीं रहा है।
- 9. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, आवेदक घरेलू उत्पादक एडीडी नियमावली, 1995 के नियम 2(ख) के अंतर्गत यथा परिभाषित घरेलू उद्योग है और आवेदन ए डी डी नियमावली, 1995 के नियम 5(3) की अनिवार्यताओं को पूरा करता है।

## घ. संबद्ध देश

10. वर्तमान जांच के लिए संबद्ध देश चीन जन.गण. है।

# ङ. जांच की अवधि

- 11. आवेदक ने जांच की अविध के रूप में 1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 (12 महीने) की अविध प्रस्तावित की है। क्षित जांच की अविध 1 अप्रैल, 2020 31 मार्च, 2021, 1 अप्रैल, 2021 31 मार्च, 2022, 1 अप्रैल, 2022 31 मार्च, 2023 और पी ओ आई है।
- च. चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य
- 12. प्राधिकारी का लगातार अभ्यास चीन जन.गण. को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था मानने का रहा है, जब तक कि चीन जन. गण. से उत्पादक यह न दर्शाएं कि पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-I के पैरा- 7 के अनुसरण में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री के संबंध में उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां प्रचलित हैं।
- 13. आवेदक ने चीन पीआर के मामले में भारत में वास्तव में भुगतान की गई या देय कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है, जिसे उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए विधिवत समायोजित किया गया है। इसलिए, वर्तमान जांच की शुरूआत के प्रयोजनार्थ, सामान्य मूल्य को उचित लाभ मार्जिन सहित, बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों के साथ भली भांति समायोजित आवेदक की उत्पादन की लागत के अनुमानों के आधार पर निर्मित किया गया है।

## छ. निर्यात कीमत

14. विषयगत वस्तुओं का निर्यात मूल्य आवेदक के डेटा से विषयगत वस्तुओं के सीआईएफ मूल्य पर विचार करके निर्धारित किया गया है। तदनुसार, आवेदक द्वारा प्रस्तुत आयात डेटा को शुद्ध निर्यात मूल्य (एनईपी) के निर्धारण के लिए विषयगत वस्तुओं के सीआईएफ मूल्य के लिए माना गया है। एक्स-फैक्ट्री निर्यात मूल्य पर पहुंचने के लिए समुद्री माल, समुद्री बीमा, कमीशन, अंतर्देशीय माल, बंदरगाह व्यय और बैंक शुल्क के कारण मूल्य समायोजन किया गया है।

## ज. पाटन मार्जिन

15. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की कारखानागत स्तर पर तुलना की गई है जो प्रथम दृष्टया दर्शाती है कि पाटन मार्जिन न्यूनतम स्तर से अधिक है और संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के संबंध में महत्वपूर्ण है। इसलिए, इसके पर्याप्त प्रथम दृष्टया प्रमाण हैं कि संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद को संबद्ध देश से निर्यातकों द्वारा भारत के घरेलू बाजार में पाटित किया जा रहा है।

# झ. क्षति का आरोप और कारणात्मक संबंध

- 16. आवेदक ने घरेलू उद्योग को ''क्षति'' से संबंधित विभिन्न मानदंडों पर सूचना उपलब्ध कराई है, जैसा कि नियमावली के तहत निर्धारित किया गया है । आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्य प्रथम दृष्टया घरेलू उद्योग को क्षति दर्शाते हैं जो चीन जन.गण. से कथित पाटित आयातों के कारण उत्पन्न हुई है ।
- 17. आवेदक ने डंप किए गए आयातों के कारण आवेदक को हुई क्षित के संबंध में जानकारी प्रदान की है। विषयगत देश से आयात की मात्रा में निरपेक्ष रूप से तथा सापेक्ष रूप से वृद्धि हुई है। विषयगत देश से मूल्य में कटौती सकारात्मक है। डंप किए गए आयातों के कारण मूल्य में कमी के कारण आवेदक को अपनी कीमतें बढ़ाने से रोका गया है, ताकि वह पूरी लागत वसूल कर सके तथा उचित दर पर प्रतिफल प्राप्त कर सके। आवेदक को वित्तीय घाटा हो रहा है। विषयगत देश से डंप किए गए आयातों के कारण आवेदक को हुई भौतिक क्षित के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं, जो एंटी-डंपिंग जांच की शुरूआत को उचित ठहराते हैं।

# ञ. <u>जांच की शुरूआत</u>

18. आवेदक द्वारा प्रस्तुत विधिवत साक्ष्यांकित लिखित आवेदन के आधार पर और संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन, संबद्ध वस्तुओं के कथित पाटन के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति तथा ऐसी क्षति और पाटित आयातों के बीच कारणात्मक संबंध के संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर संतुष्ट होने पर एवं ए डी नियमावली के नियम 5 के साथ पठित धारा 9क के अनुसरण में, प्राधिकारी, संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन की विद्यमानता, मात्रा और प्रभाव को निर्धारित करने और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी उचित राशि की सिफारिश करने, जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी, एतदद्वारा पाटनरोधी जांच की शुरूआत करते हैं

# ट. <u>प्रक्रिया</u>

19. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 में निर्धारित प्रावधानों का इस जांच में पालन किया जायेगा

# ठ. सूचना प्रस्तुत करना

- 20. सभी पत्र-व्यवहार निर्दिष्ट प्राधिकारी को ईमेल पते jd12-dgtr@gov.in और ad12-dgtr@gov.in पर ईमेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए, तथा उसकी एक-एक प्रतिलिपि adv11-dgtr@gov.in और Consultant-dgtr@govcontractor.in पर भी भेजी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फार्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फार्मेट में खोजे जाने योग्य हो।
- 21. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जिए संबद्ध देश की सरकार और भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और जो संबद्ध वस्तुओं के साथ संबद्ध होने के लिए ज्ञात हैं, ऐसे प्रयोक्ताओं को इस जांच शुरूआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है। ऐसी समस्त सूचना इस जांच शुरूआत अधिसूचना, ए डी नियमावली, 1995 और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में यथा विहित प्रपत्र और ढंग से प्रस्तुत की जानी चाहिए।
- 22. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जांच शुरूआत अधिसूचना, ए डी नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में यथा विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच शुरूआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर वर्तमान जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।
- 23. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
- 24. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस जांच से संबंधित किसी अद्यतन सूचना तथा आगे की प्रक्रिया के लिए वे व्यापार उपचार महानिदेशालय की सरकारी वैबसाइट (https://www.dgtr.gov.in/) को नियमित रूप से देखते रहें।

# ड. <u>समय सीमा</u>

25. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना ए डी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार निर्यातक देशों के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को दिए जाने अथवा घरेलू उद्योग द्वारा आवेदन के अगोपनीय पाठ को प्राधिकारी द्वारा उसे परिचालित किए जाने की तारीख से 30 दिनों के भीतर ई-मेल पतों jd12-dgtr@gov.in और ad12-dgtr@gov.in उसकी एक प्रति adv11-dgtr@gov.in और consultant-dgtr@govcontractor.in पर प्राधिकारी को ई-मेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड तथा नियमावली में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

- 26. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में तत्काल अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और उक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का अपना उत्तर प्रस्तुत करें।
- 27. जहां कोई हितबद्ध पक्षकार अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय मांगता है वहां उसे ए डी डी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार समय बढ़ाने का पर्याप्त कारण बताना होगा और वह अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समयाविध के भीतर किया जाना चाहिए।

# ढ. <u>गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना</u>

- 28. वर्तमान जांच में प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को ए डी डी नियमावली के नियम 7 के अनुसार और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
- 29. ऐसे अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्राधिकारी से किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय सूचना माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमित देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
- 30. गोपनीय पाठ में ऐसी सारी सूचना, जो स्वरूप से गोपनीय है और/या कोई अन्य जानकारी शामिल होगी, जिसके बारे में ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। ऐसी सूचना के बारे में, जिसके संबंध में स्वरूप द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है या ऐसी सूचना जिस पर अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा किया गया है, तो ऐसी सूचना के आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति की गई सूचना के साथ पर्याप्त कारणों को उपलब्ध कराना अनिवार्य है कि ऐसी सूचना को क्यों प्रकट नहीं किया जा सकता।
- 31. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर अगोपनीय पाठ के साथ, अगोपनीय अंश उस सूचना जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (जहां सूचीबद्ध करना संभव न हो) या सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय अंश की उचित और पर्याप्त अनुकृति होना अपेक्षित है।
- 32. अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए जिससे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकार को यह दर्शाना होगा कि ऐसी सूचना का सारांश नहीं हो सकता है और नियमावली तथा प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए उचित व्यापार नोटिसों के संदर्भ में एक पर्याप्त और यथोष्ट स्पष्टीकरण को शामिल करते हुए कारणों का एक विवरण प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करना होगा कि ऐसा सारांश क्यों संभव नहीं है।
- 33. हितबद्ध पक्षकार संबंधित अनुरोधों के अगोपनीय अंश के परिचालन की तारीख से 7 दिनों के भीतर अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा दावा की गई गोपनीयता के मुद्दे पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं जैसा कि जांच शुरूआत अधिसूचना में बताया गया है।

- 34. सार्थक अगोपनीय अंश के बिना या नियमावली के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार पर्याप्त और पूर्ण कारणों के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा गोपनीयता के दावे के लिए रिकार्ड में नहीं लिया जाएगा।
- 35. प्राधिकारी प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या सारांश रूप में इसके प्रकटीकरण को अधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वे ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
- 36. प्राधिकारी प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार करने के बाद ऐसी सूचना को देने वाले पक्षकार के स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

## ण. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

37. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डी जी टी आर की वैबसाइट पर अपलोड की जाएगी कि वे ई-मेल के माध्यम से सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों का अगोपनीय अंश ई मेल कर दें।

# त. असहयोग

38. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार तर्कसंगत अविध या इस जांच शुरूआत अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय के भीतर अथवा बाद में अलग-अलग संप्रेषण के जिरए प्रदान की गई समयाविध के भीतर आवश्यक सूचना देने से मना करता है या अन्यथा उसे उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

दर्पण जैन. निर्दिष्ट प्राधिकारी

# MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (Department of Commerce)

(Directorate General of Trade Remedies)

New Delhi, the 30 th September, 2024

#### **INITIATION NOTIFICATION**

#### Case No. AD(OI)-37/2024

Subject: Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of "Copolymer Polyol of hydroxyl value >= 23.5" originating in or exported from China PR.

**F. No. 6/40/2024-DGTR**–M/s Expanded Polymer Systems Pvt. Ltd. (hereinafter referred to as the "applicant"), has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the 'Authority'), on behalf of domestic industry, in accordance with the Customs Tariff Act,1975 as amended from time to time (hereinafter referred as the 'Act') and the Customs Tariff (Identification, Assessment, and Collection of Anti-Dumping Duty on dumped Articles and for Determination of Injury) Rules,1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the 'Rules'), seeking initiation of anti-dumping investigation by alleging dumping of "Copolymer Polyol of hydroxyl value >= 23.5" (hereinafter referred to as the 'subject goods' or the 'product under consideration 'or the 'PUC'), originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the 'subject country').

#### A. Product under Consideration

- 2. The product under consideration is "Copolymer Polyol of hydroxyl value >= 23.5". The PUC is also known as Polymer Polyol in market parlance.
- 3. The PUC is mainly used for manufacturing of Flexible Foam, which is majorly used in manufacturing of mattresses. It is also used for the manufacturing of bra-cups. It is a Polymer Polyol which improves the hardness of slab foam when added in the manufacturing process of slab polyurethane foam. The subject goods are classified under chapter heading 39 under HS Code 39072910 and 39072990. The custom classification is indicative only and in no way, it is binding upon the product scope.
- 4. The parties to the present investigation may provide their comments on the scope of the PUC and propose PCNs, if any, within 15 days of the initiation of this investigation.

#### B. Like Article

5. The applicant has stated that there are no significant differences in the article produced by the applicant and exported from the subject county. The article produced by the applicant and imported from China are comparable in terms of physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution and marketing, and tariff classification of the subject goods. The subject goods and the article manufactured by the applicant are technically and commercially substitutable. The applicant has claimed that consumers of the PUC are using the subject goods and the article manufactured by the applicant interchangeably. Thus, for the

purposes of initiation of the present investigation, the subject goods produced by the Applicant and the subject goods imported from the subject countries are being treated as 'like article' to each other.

#### C. Domestic Industry & Standing

6. Rule 2(b) defines domestic industry as follows:

"'domestic industry' means the domestic producers as a whole of the like article or domestic producers whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article, except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article, or are themselves importers thereof, in which case such producers shall be deemed not to form part of domestic industry"

- 7. The application has been filed by M/s Expanded Polymer Systems Pvt. Ltd. The applicant is the sole producer of the subject goods in India. The applicant accounts for 100% of the Indian production.
- 8. The applicant has not imported the subject goods from the subject country during the period of injury. Moreover, the applicant is not related to any importer or exporter of the subject goods during POI.
- 9. In view of the above, the applicant domestic producer constitutes domestic industry as defined under Rule 2(b) of the ADD Rules, 1995 and the application satisfies the requirements of standing in terms of Rule 5(3) of the ADD Rules, 1995.

#### D. Subject Country

10. The subject country for the present investigation is China PR.

#### E. <u>Period of Investigation</u>

11. Period of investigation is 1<sup>st</sup> April 2023 to 31<sup>st</sup> March 2024 (12 months. The injury period is from 1<sup>st</sup> April 2020 - 31<sup>st</sup> March 2021, 1<sup>st</sup> April 2021 - 31<sup>st</sup> March 2022, 1<sup>st</sup> April 2022 - 31<sup>st</sup> March 2023 and the POI.

#### F. Normal Value for China PR

12. The domestic industry has claimed that the producers from China PR must be asked to demonstrate that market economy conditions prevail in the industry with regard to the production and sales of the subject goods in accordance with Para 7 of Annexure-I to the Anti-Dumping Rules, 1995. 13. Applicant has claimed normal value in case of China PR on the basis of the price actually paid or payable in India, duly adjusted to include a reasonable profit margin. The normal value has been, therefore, constructed based on the best estimates of the cost of the production in India of the subject goods as available after adjusting the selling, general and administrative expenses with reasonable profit margin.

#### G. Export Price

14. The export price of the subject goods has been determined by considering the CIF price of the subject goods from applicant's data. Accordingly, the import data submitted by the applicant has been considered for CIF price of the subject goods for the determination of Net Export Price (NEP). The price adjustments have been made on account of ocean freight, marine insurance, commission, inland freight, port expenses, and bank charges to arrive at ex-factory export price.

#### H. <u>Dumping Margin</u>

15. The normal value and the export price have been compared at the ex-factory level, which prima facie establishes that the dumping margin is above the de minimis level and is significant with respect to the product under consideration from the subject country. Thus, there is sufficient prima facie evidence that the product under consideration from the subject country is being dumped in the domestic market of India by the exporters from the subject country.

#### I. Injury and Causal Link

- 16. The applicant has furnished the information on various parameters relating to 'injury' to the domestic industry as prescribed under the Rules. The evidence provided by the applicant *prima facie* shows injury to the domestic industry that has been caused by the alleged dumped imports from China PR.
- 17. The applicant has provided information with respect to the injury suffered by the applicant because of dumped imports. The volume of the subject imports from the subject country has increased in absolute terms as well as relative term. The price undercutting from the subject country is positive. The price suppression caused by the dumped imports have prevented the applicant from increasing its prices to recover the full cost and achieve a reasonable rate of return. The applicant is suffering from financial losses. There is sufficient prima facie evidence of material injury being caused to the applicant due to dumped imports from the subject country to justify the initiation of the anti-dumping investigation.

#### J. <u>Initiation of the Investigation</u>

18. On the basis of the duly substantiated written application submitted by the applicant and having reached satisfaction based on the prima facie evidence submitted by the applicant concerning the dumping of the product under consideration originating in or exported from the subject country, the consequential injury to the domestic industry as a result of the

alleged dumping of the subject goods and the causal link between such injury and the dumped imports, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the AD Rules, the Authority, hereby, initiates an anti-dumping investigation to determine the existence, degree and effect of the dumping with respect to the product under consideration originating in or exported from the subject country and to recommend the appropriate amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

#### K. PROCEDURE

19. The provisions of Rules 6 of the AD Rules, 1995 shall be followed in this investigation.

#### L. <u>Submission of Information</u>

- 20. All communication should be sent to the Designated Authority *via* email at email addresses <a href="mailto:id12-dgtr@gov.in">id12-dgtr@gov.in</a> and <a href="mailto:add12-dgtr@gov.in">add12-dgtr@gov.in</a> with a copy to <a href="mailto:adv11-dgtr@gov.in">adv11-dgtr@gov.in</a> and <a href="mailto:consultant-dgtr@govcontractor.in">consultant-dgtr@govcontractor.in</a>. It must be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format.
- 21. The known producers/exporters in the subject country, the Government of the subject country through its Embassy in India, and the importers and users in India who are known to be associated with the subject goods are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits mentioned in this initiation notification. All such information must be filed in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority.
- 22. Any other interested party may also make a submission relevant to the present investigation in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority within the time limits mentioned in this initiation notification.
- 23. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.
- 24. Interested parties are further directed to regularly visit the official website of the Directorate General of Trade Remedies (<a href="https://www.dgtr.gov.in/">https://www.dgtr.gov.in/</a>) to stay updated and apprised with the information as well as further processes related to the investigation.

#### M. Time Limit

25. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at email address <a href="mailto:jd12-dgtr@gov.in">jd12-dgtr@gov.in</a> and <a href="mailto:adv11-dgtr@gov.in">adv11-dgtr@gov.in</a> and <a href="mailto:consultant-dgtr@govcontractor.in">consultant-dgtr@govcontractor.in</a> within 30 days from the date on which the non-confidential version of the application filed by the domestic industry would be circulated by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country as per Rule 6(4) of the ADD Rules. If no information is received within the stipulated time limit or the information received is

incomplete, the Authority may record its findings based on the facts available on record and in accordance with the Rules.

- 26. All the interested parties are here by advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit as stipulated in this notification.
- 27. Where an interested party seeks addition all time for filing of submissions, it must demonstrate sufficient cause for such extension in terms of Rule 6(4) of the ADD Rules, 1995 and such request must come within the time stipulated in this notification.

#### N. Submission of Information on Confidential Basis

- 28. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, such party is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 7 of the ADD Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard.
- 29. Such submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission that has been made to the Authority without such markings shall be treated as "non- confidential" information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.
- 30. The confidential version shall contain all information which is, by nature, confidential, and/or other information, which the supplier of such information claims as confidential. For the information which is claimed to be confidential by nature, or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
- 31. The non-confidential version of the information filed by the interested parties should be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.
- 32. The non-confidential summary must be insufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation in terms of Rule 8 of the Rules, 1995, and appropriate trade notices issued by the Authority, as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.
- 33. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality claimed by the domestic industry within 7 days from the date of circulation of the non-confidential version of the documents filed before the Authority as indicated in initiation notification.

- 34. Any submission made without a meaningful non-confidential version there of or a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 7 of the Rules, and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
- 35. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
- 36. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

#### O. INSPECTION OF PUBLIC FILE

37. A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTR's website along with the request there in to all of them to email the non-confidential version of their submissions and other information to all other interested parties.

#### P. Non-Cooperation

38. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification or subsequently time period provided through separate communication, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings based on the facts available and make such recommendations to the Central Government as it deems fit.

DARPAN JAIN, Designated Authority